कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-174 दिनांक:31/5/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक...19वीं...दिनांक..23-5-2002..का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0..19वी दिनांक..23-5-2002..प्रात:/~~सायं~~..10:30..बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव, 31/5/2002

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन.....,जविप्रा,जयपुर।

सदस्य सचिव, 31/5/2002

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 19वीं बैठक दिनांक 23-5-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

(1) विषय:- भूखण्ड सं. 4 व 24 योजना महन्त कॉलोनी, खातीपुरा रोड का योजना मानचित्र में तकनीकी संशोधन बाबत(जोन बी-6)।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं. 4 व 24 का मौके पर उपलब्ध भूखण्ड के क्षेत्रफल(एजेण्डा में वर्णित) के अनुसार अनुमोदन की कार्यवाही की जावें तथा नियमानुसार सैट बैक दर्शाया जावें।

(2) विषय:- माधव गृ.नि.स. समिति की योजना गोम्स डिफेन्स में सडक की चौडाई के संबंध में(जोन बी-6)।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं योजना के मानचित्र का अवलोकन कर स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही सडक की चौडाई रखने का निर्णय लिया गया।

(3) विषय:- छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना प्रताप नगर विस्तार(जोन बी-3)।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्य श्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी राय से समिति को अवगत करवाया जावेगा तत्पश्चात् ही योजना के बारे में निर्णय लिया जावेगा।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..19 वीं...बैठक दिनांक.23-5-02....
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	सुभाष सिन्धी हा0को0सो0
2.	योजना का नाम	:	स्कीम नं.6 जय अम्बे नगर टोक रोड़
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	भू.सं. 73,ए-78,ए-79,ए-80,ए-81 के
4.	सैक्टर नंबर	:	पीछे के रास्ते के सम्बन्ध में ।

जोनल लेबल(जोन संख्या...A-1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । बैठक में गली के दोनों साइड के प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात् दोनों पक्षों ने यह सहमति जतायी कि यदि गली की चौड़ाई 20-0" कर दी जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । इस-लिए विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या ए-73,ए-78, ए-79,ए-80,ए-81 के पीछे की सड़क की चौड़ाई 20-0" कर दी जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....19..वीं बैठक दिनांक..23-5-02...
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- महेश नगर गृ०नि०स०स० की योजना महेश कॉलोनी के भू०सं० एम-62 के उप विभाजन के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-2...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया । चूंकि भूखण्ड के दक्षिण साइड में 40-0" का सैट बैक है । इसलिए 2 उप विभाजित भूखण्डों में [illegible] आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है । इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या एम-62 का उप विभाजन अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....19 वीं.....बैठक दिनांक..23-5-02.....
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : भैरव नगर गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : गुरू वाटिका
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ग्राम पालड़ी मौणा के अनुमोदन के सम्बन्ध मे
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा सवाई चक भूमि के भूखण्ड काटे गये है । इसलिए सवाई चक भूमि का कब्जा लेकर इसका निस्तारण करने तथा सहकारी समिति के जिन पदाधिकारियों ने सवाई चक भूमि में भूखण्ड काटे है उनके खिलाफ एफ.आई.आर जोन द्वारा दर्ज करवायी जाने तथा भूखण्ड संख्या 10,11,12 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाये जाने के पश्चात् शेष योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...19 वीं...बैठक दिनांक..23-5-02...
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- स्थानीय समझौता समिति के फैसले की अनुपालना में फ्रेन्ड्स कॉलोनी के भू.सं. 8, 9, 10, 11 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेवल(जोन संख्या...B-2....) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में निति निर्धारण होने तक प्रकरण को स्थगित रखा जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...19 वीं...बैठक दिनांक...23-5-02..
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- छत्रपति गृ0नि 0स0स0 को योजना गणेश कॉलोनी के भू0सं0 91,92, 93, 94 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....B-2.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में निति निर्धारण होने तक प्रकरण को स्थगित रखा जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...19..वीं.बैठक दिनांक..23-5-02...
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- निजी खातेदार की योजना अग्रसेन नगर ग्राम बगराना के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् योजना को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित पाया गया । चूँकि योजना मौके पर पूर्णतः खाली है । इसलिए योजना स्वीकृति हेतु अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाये जाने तथा योजना की भूमि का उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय में परिवर्तन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....19..वीं बैठक दिनांक...23-5-02..
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- विश्वेसरिया नगर योजना समिति अपोलो नगर गृ०नि०स०स० से वाणिज्यक भू०सं० 44 से 51 को आवासीय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-5....) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् इन भूखण्डों को वाणिज्यक से आवासीय उपयोग में नहीं करने का निर्णय लिया गया क्योंकि भूखण्डों में आच्छादित क्षेत्र नहीं मिलता है।

Proceedings of 19/2002 BPC (Layout Plan) Meeting held on 23-05-2002 at 11.30 A.M.under the Chairmanship of Chief Town Planner, Rajasthan.

Change of Land use Cases

(1) Regarding Change of Land use of Khasra No. 21 to 30, 35, 36, 23/988, 24/989 and 27/990 area measuring 2.47 hectares after leaving 3279.77 sq. mtr. of land for Ajmer Road R.O.W. and Plantation corridor and rest 21420.23 sq. mtr. land from Rural Belt to Institutional [Dental College].

The Committee discussed the location of site in detail and decided that the applicant will surrender the land under R.O.W. It was also discussed by the Committee that whether benefit of leaving the applicant's land in R.O.W. AND plantation corridor should be given to the applicant. After detailed discussion it was decided that F.A.R. and other parameters will be only according to the remaining area of which Change of Land Use and conversion is done.

Finally it was decided that notification U/s 25(3) of JDA Act for inviting objections/Suggestions of 21420.23 sq. mtrs. of land after leaving 1374.77 sq. mtrs. of land (under 90 mtrs. Right of Way) and 1905 sq. mtrs. of land (under 30 mtrs. wide plantation corridor on each side) from Rural Belt

to Institutional (Dental College) will be issued subject to condition that the land falling in R.O.W. will be surrendered to JDA free of cost and Plantation corridor will be kept open by the applicant.

(2) **Regarding Change of Land use of Khasra No.1088 of Village Bassi measuring 10 biswa owned by Tilak Institute of Education and Social Development from Public Utility to Public and Semi Public (Balika Vidyalaya).**

After detailed discussions the Change of Land Use was approved and the case was referred to Executive Committee for confirmation.

(3) **Regarding Change of Land use of Plot No. C-3 situated at Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur measuring 2360 Sq. ~~yards~~ metres. owned by The Bank of Rajasthan Ltd. from Residential to Commercial (Office and Bank Branch).**

The Committee was apprised regarding the existing unauthorised construction in the setback area. After detailed discussion the Committee was of the view that applicant may be informed for compounding the setback violation in the plot. After compounding the case may be processed for Change of Land Use.

(4) Regarding Change of Land use of Mahavir Nagar Grah Nirman Sahkari Samiti's scheme Durga Vatika's Plot No.2 measuring 226.66 sq. yards situated opposite G.S.I. colony, Jagatpura owned by Smt. Chandrakanta wife of Shri Surendra Singh and Shri Sanjay Singh son of Shri Mahendra Singh from Residential to Commercial (Retail Commercial).

The Committee examined the layout plan of Durga Vatika and it was seen that adjacent to the said plot there is a row of shops approved in the layout plan and thus the Committee was of the view that there should be no objection in approving the Change of Land Use of the said plot. The setback in the plot will be 4.5 meters on both the road side (front and rear). Other parameters will be as per Building Regulations 2001. It was decided that Objections/Suggestions U/s 25(3) of JDA Act may be invited from Public.

(5) Regarding Change of Land use of Khasra No. 289 measuring 1218.44 sq. yards after leaving 117.59 sq. yards land for R.O.W. and Radius of corner [redacted] and rest 1100.85 sq. yards from Residential to Commercial (Office and Godowns).

It was explained in the Meeting that the road parallel to Sawai Madhopur railway line is already reduced from 100' wide to 40' wide in BPC(LP) Meeting No. 12/2002 dated: 10/4/02. The existing 100% setback violation in rear and both side setback was also explained in the meeting. After detailed discussion the Committee was of the view that the existing construction on the plot as per Registry records was before 1976. The applicant has left the parking space adjacent to his plot in the scheme Plot no.6, Subhash Sindhi Scheme No.10.

Thus looking to the existing conditions the Committee decided that the Objections/Suggestions may be invited U/s 25(3) of the JDA Act of 1100.85 sq. mtrs. land after leaving 117.59 sq. yards under road widening and Radius of corner from Residential to Commercial use (Office and Godowns). It was also decided that if the applicant further decides for any new construction on his site then he will have to get approval from JDA, in which parameters will be as per Building Regulations,2001. Applicant will surrender the land under road and corner free of cost to JDA.

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 23.5.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन सी-1, जोन ए-2 एवं जोन ए-4 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

(A)जोन सी-1 - मिनी टाउनशिप योजना पर्ल रिगेलिया के अनुमोदन के संबंध में।
(B) जोन ए-2 -पथिक भवन गृ.नि.स.स. व गुलाब बाडी गृ.नि.स.स. की मलहोत्रा नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में।

(C) जोन ए-4 - राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राजहंस-द्वितीय
(D) जोन ए-4 - माणिक्यपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर, स्कीम नं0-10

उपरोक्त पर विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-

(A)जोन सी-1 - मिनी टाउनशिप योजना पर्ल रिगेलिया के अनुमोदन के संबंध में -

1. योजना को 60:40 के अनुपात में अनुमोदन किया जावें। 60 प्रतिशत भूमि आवासीय (60 प्रतिशत का अधिकतम 10 प्रतिशत व्यवसायिक) एवं 40 प्रतिशत भूमि अन्य आधारभूत सुविधाओं यथा बिजली, पानी, सीवरेज, सडकें, सामुदायिक भूवन, पार्क इत्यादि हेतू।
2. खसरा सुपरइम्पोजिशन के बाहर स्थित योजना के आंशिक भाग को अस्वीकृत किया जावें। तदनुसार संशोधित मानचित्र 6.57 हैक्टर भूमि पर अनुमोदित किये जावें।
3. बैठक में वरिष्ठ नगर नियेाजक (एम.पी.) द्वारा यह अवगत करवाया गया कि योजना के आंशिक भाग का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 भू उपयोग मानचित्र के अनुसार संस्थानिक हैं। इस पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इसका पुन: परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जावें।
4. ले-आउट प्लान अथवा तकनीकी अनुमोदन होने के पश्चात विकासकर्ता द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण राशि जमा करवाई जावेगी। यह राशि योजना के विभिन्न भूखण्डों के प्रकार के आधार पर निर्धारित दरों पर जमा कराई जावेगी जैसे आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक आदि के लिए अलग-अलग दरों पर।
5. विकासकर्ता द्वारा योजना के मानचित्र जारी होने के पश्चात ही भूमि पर नियोजित भूखण्डों की बुकिंग की जावें एवं इसकी सूचना जविप्रा को भी दी जावे।
6. विकासकर्ता द्वारा भूमि का विकासकार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात ही जविप्रा द्वारा भूखण्डधारीयों को भूमि की लीज डीड दी जावगी।
7. विकासकर्ता द्वारा बाहरी विकास कार्यो हेतू नियमानुसार राशि जविप्रा में जमा करवायी जावेगी।
8. विकासकर्ता द्वारा ले आउट प्लान मंजूर होने के छ: माह के अन्दर विकास कार्य प्रारम्भ कर निम्नानुसार पूर्ण किये जावें :-
   (i) केवल भूमि का विकास कार्य - दो वर्ष
   (सडक नाली, सीवरेज, रोशनी इत्यादि का कार्य)

(ii) भूमि का विकास एवं भवन निर्माण कार्य - तीन वर्ष
(कम से कम 25 प्रतिशत भूमि पर)

9. विकासकर्ता द्वारा सडक व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित की गयी भूमि का मौके पर स्पष्ट डिर्माकेशन करवाया जावें।
10. विकासकर्ता द्वारा योजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये व्यवस्था की जावें।
11. योजना में बिजली, पानी की आधारभूत सुविधा हेतू भूमि आरक्षित की जावें।
12. विकास कर्ता द्वारा निर्धारित समायावधि में अनुमोदित योजना अनुसार सभी आवश्यक विकास कार्य पूर्ण कर जविप्रा से अधिवास प्रमाण पत्र लिया जावेंगा।

(B) पथिक भवन गृ.नि.स.स. व गुलाब बाडी गृ.नि.स.स. की मलहोत्रा नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 29.4.2002 एवं 7.5.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित पत्रावली पर अलग से प्रस्तुत किया जावें।

(C) जोन ए-4 - राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राजहंस-द्वितीय के संबंध में ।

उपायुक्त, जोन ए-4 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया एवं वाद विचार-विमर्श निम्नांकित शर्तो के साथ योजना का अनुमोदन किया गया-

1. योजना के दक्षिणी-पूर्वी भाग में ताल कटोरा जाने वाली रोड की चौडाई 8'-6'' से 15' मौके के अनुसार रखने का निर्णय लिया गया। शेष सभी आन्तरिक सडकों की चौडाई न्यूनतम 20' रखी जाये।
2. सभी व्यावसायिक भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया।
3. भूखण्ड सं. 49बी, 93 व 92ए से लगते हुए भूखण्ड जिसमे मन्दिर बना हुआ है सुविधा क्षेत्र में रखने का निर्णय लिया गया।

(D) जोन ए-4 - माणिक्यपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर, स्कीम नं0-10 के संबंध में।

प्रकरण पर विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि समिति के माननीय सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)